मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार

मान्ट-फोर्ड सुधार – 1919 का अधिनियम

1858 में कंपनी को सत्ता हस्तगत करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में सहयोग की नीति का अनुसरण किया। इसे कार्यरूप देने के लिए 1861, 1892 और 1909 में अधिनियम पारित किए गए। लेकिन यह नीति असफल सिद्ध हुई। अतः ब्रिटिश सरकार ने अपनी भारतीय नीति में परिवर्तन लाया। यह महसूस किया गया कि केवल भारतीयों से सहयोग लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्रमशः भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना भी की जानी चाहिए। इस हेतु 1919 ई० में दूसरा अधिनियम पारित कर आंशिक उत्तरदायित्व (partial responsibility) के सिद्धान्त को अपनाया गया। इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा भारतीय गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। अतः इसे मॉन्ट-फोर्ड सुधार या 1919 ई० का भारत सरकार अधिनियम कहते हैं।

1919 में भारत सरकार अधिनियम पारित होने के कारण –

(1) मोर्ले मिण्टो सुधार से असंतोष – मोर्ले मिण्टो सुधार त्रुटिपूर्ण, अपर्याप्त तथा अदूरदर्शी थे। अतः भारतवासियों का कोई वर्ग संतुष्ट नहीं हुआ। भारतवासी पूर्ण स्वराज्य के लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन मोर्ले ने घोषणा की कि वह भारत में संसदीय सरकार की स्थापना किसी भी कीमत पर नहीं

करना चाहते हैं। इन्होंने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को अपनाकर भारत में साम्प्रदायिकता की नींव डाली। यद्यपि निर्वाचन की प्रथा अपनाई गई थी, लेकिन इसका वास्तविक महत्व नहीं के बराबर रहा। प्रांतीय तथा स्थानीय संस्थाओं पर केन्द्र के नियंत्रण को और भी दृढ़ बना दिया गया जिससे केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को बल मिला। अतः भारतीय इस अधिनियम से असंतुष्ट थे।

(ii) सरकार की दमन नीति — ब्रिटिश सरकार ने सुधारों द्वारा उदारवादियों को खुश करने तथा दमन चक्र द्वारा उग्रवादियों को कुचलने की नीति अपनाई। लेकिन यह असफल रही। दमनकारी कार्यों की घोर प्रतिक्रिया हुई। राष्ट्रीय आन्दोलन और भी तीव्र हो गया तथा क्रांतिकारी और आतंकवादी और भी सक्रिय हो गये।

(iii) भारतीयों की कटु निराशायें — 1892 के इण्डियन कौंसिल्स, आयोगों, 1912 में लोक सेवा आयोग की स्थापना से भारतीयों को बड़ी आशा बंधी। लेकिन बहुत जल्द ही उनकी आशा निराशा में बदल गई। आर्मी के लाइसेंस के बारे में जाति-भेद की नीति अपनाई गई। भारतीयों को उच्च पद सेवा में भरती होने से इंकार कर दिया गया। द० अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ भेद-भाव की नीति अपनाई गई। इन कारणों से भारतीयों में क्षोभ और असंतोष बढ़ा।

(iv) लार्ड क्रो की नीति से भारतीयों को निराशा :

1910 में लार्ड मोर्ले के स्थान पर लार्ड क्रो भारतीय सचिव बने। वे अप्रगतिवादी और अनुदारवादी थे। 1911 में सम्राट पंचम जार्ज और साम्राज्ञी मेरी भारत आई तब उन्होंने भारतीयों को बहुत से अधिकार देने की घोषणा की थी। इसी अवसर पर बंगाल विभाजन समाप्त कर दिया गया। लेकिन लार्ड क्रो इसका विपरीत अर्थ लगाते हुए 1912 में लार्ड सभा में भाषण देते हुए कहा कि "भारत में एक वर्ग है जो यह सोचता है कि भारत में संवैधानिक सुधार का अगला कदम ऐसा स्वशासन के लिए होगा जो अन्य उपनिवेशों को दिया गया है। इस दिशा में भारत का कोई भविष्य नहीं दिखता। भारत सचिव होने के नाते मेरे द्वारा ऐसे गलत विचार का खंडन करना आवश्यक है। अतः राष्ट्रवादियों को इससे घोर निराशा हुई और वे ब्रिटिश सरकार से स्पष्ट शब्दों में स्वशासन की मांग करने लगे।

(v) सरकार के प्रति मुसलमानों के रुख का परिवर्तन -

शुरू में सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति तथा मुसलमानों को पृथक् निर्वाचन की मान्यता ने अंग्रेजों और मुसलमानों को नजदीक ला दिया। लेकिन मोर्ले मिण्टो सुधार के पास ऐसी घटनाएं घटी जिससे वे उनके विरोधी हो गए। जैसे 1911 में बंगाल-विभाजन का अन्त होना, टर्की-इटली युद्ध में और बाल्कन युद्ध में अंग्रेजों ने टर्की के विरुद्ध जो नीति अपनाई उससे वे उससे भारतीय मुसलमान

संशोधित हो उठे। दूसरी ओर राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं में मुसलमानों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। इससे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निकट आ गये। कांग्रेस और लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में हुआ। दोनों ने एक समान सुधार योजना तैयार की जो लखनऊ समझौता (Lucknow Pact) के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना में व्यवस्थापिका-सभाओं के आकार तथा अधिकार में वृद्धि, पृथक, व्यापक तथा पृथक प्रतिनिधित्व और प्रान्तीय स्वायत्तता के लिए सिफारिश की गई थी। यह एक महान ऐतिहासिक घटना थी।

(vi)

प्रथम महायुद्ध का प्रभाव —

भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनके साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना शुरू किया तथा अनेक घोषणाएँ की गई। युद्ध शुरू होते ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री एसक्विथ ने यह घोषणा की कि भविष्य में भारत के प्रश्न को एक नए दृष्टिकोण से देखा जाएगा। लायड जार्ज ने भी इसे अपनाया तथा मित्र राष्ट्रों ने भी ऐलान किया कि वे निजी स्वार्थों के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे हैं अपितु संसार के जनतंत्र की रक्षा के लिए ही उन्होंने युद्ध में प्रवेश किया है। इसलिए भारतीयों को यह आशा हुई कि युद्ध के उपरान्त भारत को स्वशासन का अधिकार होगा। युद्धकाल में भारतीयों ने स्वतंत्रता और स्वशासन का भी महत्व ~~समझा~~ समझा क्योंकि उन्होंने कमजोर राष्ट्रों की दुर्दशा देखी।